न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : कमला अलारिया, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 10/22 (102/97)

नक्षत्रसिंह पुत्र श्री भोलासिंह जाति जटसिख निवासी 4 एलपीएम तह0 रायसिंहनगर।

प्रार्थी

बनाम

1. छज्जूराम पुत्र खेताराम
2. मघरसिंह पुत्र केहरसिंह
3. जंगीरसिंह पुत्र दलीपसिंह
4. सेहनसिंह पुत्र अमरसिंह
5. अमरीकसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह अकवाम कुम्हार सकनाए मोकमवाला तह0 रायसिंहनगर।

प्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम।

उपस्थित : 1. श्री गुरजीतसिंह, राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी
2 श्री रामप्रकाश गुप्ता, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं0 2 की ओर से।
3. श्री चरणदास कम्बोज, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं0 1 एवं मनफूल पूर्णराम की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 25–5–22

हस्तगत प्रकरण जिला कलक्टर महोदय के आदेश कमांक सीजी/वाचक/कार्यविभाजन/2022/36 दिनांक 14.01.2022 के द्वारा रायसिंहनगर तहसील के राजस्व प्रकरणों का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को दिए जाने फलस्वरूप अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के पत्रांक 196 दिनांक 09.02.2022 द्वारा स्थानानरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

सक्षेंप में प्रकरण के सारवान एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि चक 9 के एस डी हाल 10 के एस डी तहसील रायसिंहनगर के मु0 नं0 266/373 व मु0 नं0 267/373 का कुल रकबा 50–00 बीघा नहरी भूमि खेताराम पुत्र गिरधारी राम के नाम से भाखड़ा भूमिहीन में आवंटित थी। खेताराम या उसके वारिसों द्वारा उक्त भूमि सन् 1974 में श्री मघरसिंह तेजसिंह, गुरदेवसिंह, हरबंससिंह पिसरान केहरसिंह निवासी बल्लूआना तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब) को उपनिवेशन अधिनियम की धाराओं के विपरीत बेचान कर दी गई थी जिसकी विक्रय की कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई। खरीददार रकबे को ठेके पर देकर वापिस पंजाब चला

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

जाता हैं। ठेके पर जमीन लेने वाला व्यक्ति पानी अपनी जमीन में लगाता है, जिससे रेत उड़कर आस पड़ोस की जमीन में फसलें नहीं होने देती। सिंचाई विभाग को लिखा गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। अप्रार्थीगण द्वारा झूठे शपथ पत्र प्रस्तुत कर फैसला अपने पक्ष में करा लिया है। मु0 नं0 266/373 व 267/373 के 50 बीघा नी मघरसिंह वगैरा द्वारा नाजायज काश्त करने पर तावान कामय किया गया था जो जनवरी, फरवरी, 87 में तहसील रायसिंहनगर के कार्यालय में जमा करवाया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि उक्त रकबा जो उन व्यक्ति के नाम से खारिज था व गलत हल्फनामे देकर बहाल कर दिया गया था, की पुनः जॉच की जाकर खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी जोगेन्द्रसिंह पुत्र मघरसिंह व मघरसिंह पुत्र केहररिंह द्वारा शिकायत का जवाब प्रस्तुत किया गया है। जवाब में वर्णित किया है कि अप्रार्थी खेताराम को चक 10 के एस डी तहसील रायसिंहनगर में 50 बीघा भूमि पुख्ता अलॉट हुई थी। अलॉटमैन्ट के विरूद्व ए0सी0सी0 अनूपगढ के यहॉ 11/14 उपनिवेशन अधिनियम एक्ट का प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसका निर्णय दिनांक 17-6-85 को मिसल नं0 48/81 खारिज कर दी गई थी। पुनः 11/14 में प्रार्थना पत्र नहीं चल सकता है। उक्त आराजी मघरसिंह पुत्र केहरसिंह, जोगेन्द्रसिंह पुत्र मारसिंह द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 1-6-90 व 6.6.97 द्वारा पूरी कीमत देकर खरीदी जा चुकी है। कब्जा खरीददार का हैं। खरीददार राजस्थान के निवासी हैं, मूल निवासी प्रमाण पत्र उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से जारी है। अलॉटी ने तथ्य छुपा कर भूमि का आवंटन नहीं करवाया है। झूठी शिकायत की गई है जो विना किसी तथ्य व आधार के हैं। भूमि का आवंटन विधिसम्मत् तरीके से किया गया है। शिकायत सारहीन है। अतः शिकायत खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर से स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अप्रार्थी खेताराम पुत्र गिरधारी राम ने भाखडा भूमिहीन की 50 बीघा भूमि आवंटित करवाई है जबकि वे 25 बीघा भूमि आवंटन करवाने के पात्र थे। झूठे शपथ पत्र के आधार पर आवंटन करवाया गया है। 25 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त होने योग्य है।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अप्रार्थी खेताराम को चक 10 के एस डी तहसील रायसिंहनगर में 50 बीघा भूमि पुख्ता अलॉट हुई थी। अलॉटमैन्ट के विरूद्व ए0सी0सी0 अनूपगढ के यहॉ 11/14 उपनिवेशन अधिनियम एक्ट का प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसका निर्णय दिनांक 17-6-85 को मिसल नं0 48/81 खारिज कर दी गई थी। पुनः 11/14 में प्रार्थना पत्र नहीं चल सकता है। उक्त आराजी मघरसिंह पुत्र केहरसिंह, जोगेन्द्रसिंह पुत्र मारसिंह द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 1-6-90 व 6.6.97 द्वारा पूरी कीमत देकर खरीदी जा चुकी है। कब्जा खरीददार का है। खरीददार राजस्थान के निवासी हैं, मूल निवासी प्रमाण पत्र उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से जारी है। अलॉटी ने तथ्य छुपा कर भूमि का आवंटन नहीं करवाया है। झूठी शिकायत की गई है जो विना किसी तथ्य व आधार के हैं। भूमि का आवंटन विधिसम्मत् तरीके से किया गया है। शिकायत सारहीन है। अतः शिकायत खारिज फरमाई जावे।

अति0 जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

तहसीलदार, रायसिंहनगर से भूमि के संबंध में रिपोर्ट कमांक भू0अ0 /97/47 दिनांक 04–1–97 के अनुसार :–

चक 10 के एस डी के मु0न0 266/373 का 5.566 कमाण्ड व 0.759 अनकमाण्ड कुल 6.325 है0 व मु0न0 267/373 का 6.325 कमाण्ड भूमि मनफुल,पूर्णराम, छज्जूराम पिसरान खेतराम व मु0 शान्ति बेवा खेताराम जाति कुम्हार के नाम से खातेदारी दर्ज है। मौके पर नायब सिंह पुत्र भान सिंह साकिन 9 केएसडी का कब्जा काश्त है जो मघर सिंह पुत्र केहर सिंह से बटाई पर ले रखा है। उक्त रकबा मघर सिंह ने जरिये इकरारनामा खरीद कर रखा है।

तहसीलदार, रायसिंहनगर से भूमि के संबंध में रिपोर्ट कमांक भू0अ0 /98/2541 दिनांक 18.07.1998 के अनुसार :–

चक 10 केएसडी के मु0न0 266/373 व 267/373 में 50 बीघा भूमि आवंटन सहायक आयुक्त उपनिवेशन अनूपगढ के आदेश दिनांक 17.06.1985 के द्वारा तहसील के आदेश कमांक टीआरए/91/811 दिनांक 24.08.1991 की पालना में रकबा बहाली कर नामान्तकरण श्री मनफुलराम, पूर्णराम, छज्जूराम पिसरान खेताराम व मु0 शान्ति बैवा खेताराम जाति कुम्हार के नाम है। उक्त आवंटी श्री मनफुलराम वगैरह वर्तमान में गली नं 04 शक्ति नगर पुरानी आबादी वार्ड नं 6 श्रीगंगानगर में है। वर्तमान में उक्त भूमि पर जरिये इन्तकाल नं. 43 दिनांक 25.08.1997 बैचान श्री मघर सिंह पुत्र केहरसिंह जटसिख 3/4 हिस्सा मु0 शान्ति बेवा खेताराम कुमहार 1/4 हिस्सा खातेदार है एवं जरिये इन्तकाल सं. 44 दिनांक 01.04.1998 के विरासतन मु0 शान्ति के स्थान पर छज्जूराम, पूर्णराम, मनफुलराम पिसरान खेताराम एवं श्रीमती रजोदेवी पुत्री खेताराम कुम्हार 1/4 हिस्सा बराबर खातेदार है। वर्तमान में उक्त सम्पूर्ण भूमि पर खरीददार श्री मघर सिंह वल्द केहरसिंह जाति जटसिख का कब्जा काश्त है।

उपजिला कलक्टर रायसिंहनगर की रिपोर्ट कमांक आंवटन/12/1546 दिनांक 24.09.2012 के अनुसार मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर के सेल रजिस्टर चक 9 केएसडी के खाता सं. 14 श्री खेताराम पुत्र गिरधारी राम जाति कुम्हार को चक 9 केएसडी के मु0न0 266/373 267/373 की 50 बीघा भूमि नहरी भाखडा भूमिहीन में जरिये मिसल सं. 773 दिनांक 19.05.1964 द्वारा आवंटन हुई थी।

शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत में कथन किया गया है कि अलौटी खेताराम द्वारा सन 1974 में मघर सिंह वगैरह को भूमि का विक्रय किया गया था जो बलुआना तहसील व जिला बठिण्डा पजांब के निवासी है। शिकायतकर्ता का उपरोक्त कथन उपजिला कलक्टर रायसिंहनगर की रिपोर्ट 24.09.2012 से मिथ्या प्रतीत होता है क्योंकि पटवारी रिपोर्ट, मुल निवास प्रमाण पत्र सं0 123 दिनांक 09.01.1997 से प्रमाणित है कि खरीददार राजस्थान का मूल निवासी है।

उप जिला कलक्टर रायसिंहनगर द्वारा अपने उक्त पत्र दिनांक 20.09.2012 के साथ एसीसी अनूपगढ द्वारा पारित निर्णय की फोटोप्रति संलग्न कर प्रेषित की है जिसके अनुसार पत्रावली सं0 112/81 में दिनांक 17.06.1985 को हस्तगत प्रकरण से सम्बन्धित का निर्णय कर शिकायत प्रमाणित नही होने के कारण शिकायत खारिज की जाती है तथा आवंटित रकबा बहाल किया जाता है। पूर्व में यह रकबा इस

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

आधार पर खारिज किया गया था कि अलौटी आवंटित रकबे पर स्वयं काश्त नहीं करता है बल्कि हिस्से ठेके पर काश्त करवाता है। उक्त आदेश दिनांक 05.07.1977 के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी एवं अति0 उपनिवेशन आयुक्त बीकानेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की । अपीलीय न्यायालय में अपने निर्णय दिनांक 25.08. 1981 द्वारा मामला पुनः जांच कर निस्तारण करने हेतु उपायुक्त उपनिवेशन श्रीविजयनगर के न्यायालय में प्रस्तुत किया। रिमाण्ड आदेश के बाद दिनांक 17.06. 1985 के निर्णय से दोनो पक्षों की सुनवाई एवं साक्ष्य के उपरान्त शिकायत प्रमाणित नहीं होने से खारिज कर दी गई एवं रकबा पुनः बहाल कर दिया गया।

राजस्थान उपनिवेशन (भाखडा प्रोजेक्ट....... सेल) रूल्स 1955 की धारा 13 के अनुसार अलौटमेन्ट की पात्रता दर्शाई गई है। धारा 16(2) के अनुसार 25 बीघा भूमि संयुक्त परिवार के लिए (व्यस्क सदस्य) जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके है, को अलौट की जा सकती है।

हस्तगत प्रकरण में मूल अलौटी खेताराम को कुल 50 बीघा का आवंटन पत्रावली सं0 773 दिनांक 19–05–64 को किया गया है जो राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1955 की धारा 16(2) के प्रावधानों के अनुसार 31 दिसम्बर, 1947 के बाद क्लटीवेट होने के कारण 25–00 बीघा भूमि आवंटन कराने का पात्र था इसलिए शेष 25–00 बीघा भूमि उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत विधिमान्य आवंटन नहीं होने से मु0 नं0 267/373 की 25–00 बीघा भूमि बहक सरकार रिज्यूम किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के परिणाम स्वरूप मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचती हूँ कि शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा अलॉटी खेताराम को 25–00 बीघा भूमि उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत विधिमान्य आवंटन नहीं होने से मु0 नं0 267/373 की 25–00 बीघा भूमि बहक सरकार रिज्यूम की जाती है। तहसीलदार, रायसिंहनगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि का कब्जा बहक सरकार लेकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 25.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
अति0 जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्री गंगानगर।